

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 771/2022

अनवान : -

भागमल पुत्र किशनलाल उर्फ कृष्णलाल जाति मीणा निवासी चक 25 एनटीआर
तहसील नोहर-फौत

1. पार्वती देवी पत्नी भागमल जाति मीणा साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
2. प्रियंका पुत्री भागमल जाति मीणा साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
3. दीपेश पुत्र भागमल जाति मीणा साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. जगदीश प्रसाद पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. कालुराम पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. डालचन्द पुत्र गगुराम जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. धर्मपाल पुत्र कृष्णलाल उर्फ किशनलाल जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. नारायणी पत्नी फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. भागमल पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. मुन्नी पुत्री फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. महेन्द्रसिंह पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. राकेश पुत्र कृष्णलाल उर्फ किशनलाल जाति मीणा निवासी नोहर।
10. सन्तोष पुत्री फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. सावित्री पुत्री फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. सोहनलाल पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
14. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

- उपस्थिति :- 1. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: -01/07/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत
धारा 53, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है
कि रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069-2072 के खाता स०
77/63 की कुल 3.2890 है० भूमि एवं रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत
2069-2072 के खाता स० 78/64 की कुल 10.6260 है० भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण स० 1
ता 12 मुश्तरका खातेदार कास्तकार है।

al

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाता में दर्ज के कारण खाता एवं लगान तथा सींव डोल हेतु तनाजात बना रहता है इसलिए सायल गैरसायलान से वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।


दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0. 2 ता 5 एवं 7 ता 11 को सम्यक रूप से नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं और न ही उनकी ओर से कोई प्लीडर उपस्थित। अतः अप्रार्थी स0. 1 ता 5 एवं 7 ता 11 के उपस्थित नहीं आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी स0 1, 6 व 12 की ओर से अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी स0 1, 6 व 12 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया की उक्त वाद भूमि बाबत पूर्व में ही बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण कब्जा काशत करते चले आ रहे हैं। विवादित भूमि में रास्ता व खाला की सुविधा का ध्यान रखते हुए तथा उत्तरदाता की अपने कब्जाशुदा भूमि पर बनी ढाणी व कुण्ड तथा डिग्गी को ध्यान में रखते हुए खाता व लगान अलग किया जावें।

वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी ने वाद भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व अच्छी माड़ी भूमि के हिसाब से खाता विभाजन अलग करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने बहस में मुताबिक कब्जा काशत खाता अलग करने हेतु निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष ने वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जावे एवं अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 पेश किया जो की स्वीकार किया गया। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया की विभाजन प्रस्ताव में डालचन्द के खाता में चक न0 25 एनटीआर तहसील नोहर के प0न0 332/427 के किला न0 25 की 0.2530 हैक्ट भूमि के स्थान पर कि0न0 24 की 0.2530 हैक्ट व नारायणी आदि के खाता में चक न0 25 एनटीआर के प0न0 332/427 के किला न0 24 कि 0.2530 हैक्ट भूमि के स्थान पर किला न0 25 की 0.2530 हैक्ट भूमि दुरुस्त कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जावें अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र सहमति प्रकट करने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069-2072 के खाता स0 77/63 की कुल 3.2890 है0 भूमि एवं रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069-2072 के खाता स0 78/64 की कुल 10.6260 है0 भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 12 मुश्तरका खातेदार काशतकार है। वादी ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहखातेदारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069-2072 के खाता स0 77/63 की कुल 3.


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2890है० भूमि एवं रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069-2072 के खाता स० 78/64 की कुल 10.6260है० भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

- 1 डालचन्द पुत्र गणुराम हिस्सा पूर्ण जाति मीणा साकिन नोहर खातेदार इंडियन बैंक शाखा हनुमानगढ़ टाउन मूर्त
प०म० 22 एनटीआर के चक 25 एनटीआर के प०न० 332/427 (12) किला न० 11 ता 15 की 1.265 हैक्ट नहरी, 17-18-24 की 0.7590 हैक्ट नहरी, 20/1 की 0.1090 हैक्ट नहरी, प०न० 331/428(19) किला न० 2-8-9-13-18 की 1.2650 हैक्ट नहरी, 3/1 की 0.1480 हैक्ट नहरी, प०न० 329/432 (41) किला न० 7/1 की 0.0380 हैक्ट खाला, 7/2 की 0.1080 हैक्ट बारानी, 7/3 की 0.107 बारानी, 8 की 0.2530 हैक्ट नहरी, 13/1 की 0.0380 हैक्ट खाला, 13/2 की 0.108 हैक्ट, 13/3 की 0.107 हैक्ट, 14 की 0.2530 बारानी कुल रकबा 4.5580 हैक्ट जिसमे 4.0140 हैक्ट नहरी, 0.4680 हैक्ट बारानी व 0.0760 हैक्ट खाला
- 2 नारायाणी पत्नी फकीरचन्द, कालुराम, जगदीशप्रसाद, महेन्द्रसिंह, भागमल, सोहनलाल पि० फकीरचन्द, मुन्नी, सन्तोष, सावित्री पुत्रिया फकीरचन्द हिस्सा बहिब जाति मीणा सा० नोहर खातेदार रहन जगदीशप्रसाद, भागमल, सावित्री हिस्सा पीएनबी शाखा परलीका मूर्त
प०म० 22 एनटीआर के चक 25 एनटीआर के प०न० 331/427 (11) किला न० 24 की 0.2530 हैक्ट नहरी, प०न० 332/427 (12) किला न० 20/2 की 0.1440 हैक्ट नहरी, 21/2 की 0.2060 नहरी, 22/2 की 0.2070 हैक्ट नहरी, 25 की 0.2530 हैक्ट नहरी, प०न० 332/428 (18) किला न० 3/1 की 0.0250 हैक्ट खाला, 3/2 की 0.2280 नहरी, 4/1 की 0.0250 खाला, 4/2 की 0.2280 नहरी, 5/1 की 0.250 खाला, 5/2 की 0.2280 नहरी, 8 की 0.2530 हैक्ट नहरी, प०न० 331/428(19) किला न० 3/2 की 0.105 नहरी, 4 की 0.2530 हैक्ट नहरी, 5/1 की 0.0380 रास्ता, 5/2 की 0.2150 नहरी, 6/1 की 0.0380 रास्ता, 6/2 की 0.2150 नहरी, 7-14 की 0.5060 हैक्ट नहरी, 15/1 की 0.0380 रास्ता, 15/2 की 0.2150 नहरी, प०न० 329/432(41) किला न० 20 की 0.2530 नहरी, 21/1 की 0.0380 खाला, 21/2 की 0.108 बारानी, 21/3 की 0.107 बारानी, 22-23 की 0.5060 हैक्ट बारानी कुल 4.710 हैक्ट भूमि जिसमें से 3.7620 हैक्ट नहरी, 0.7210 हैक्ट बारानी, 0.1130 गै०मु० खाला, 0.1140 हैक्ट गै०मु० रास्ता
- 3 धर्मपाल पुत्र कृष्णलाल उर्फ किसनलाल हिस्सा 4/18, भागमल, राकेश पि० कृष्णलाल उर्फ किसनलाल हिस्सा 7/9 जाति मीणा सा० नोहर खातेदार
प०म० 22 एनटीआर के चक 25 एनटीआर के प०न० 331/427 (11) किला न० 16/1 की 0.0380 रास्ता, 16/2 की 0.2150 नहरी, 7-18-22-23 की 1.0120 हैक्ट नहरी, 25/1 की 0.0380 रास्ता, 25/2 की 0.2150 नहरी, प०न० 332/427(12) किला न० 16-19-23 की 0.7590 नहरी, 21/1 की 0.0470 नहरी, 22/1 की 0.0460 नहरी, प०न० 332/428(18) किला न० 1/1 की 0.260 हैक्ट खाला, 1/2 की 0.2270 नहरी, 2/1 की 0.0250 खाला, 2/2 की 0.2280 नहरी, 9-10 की 0.506 हैक्ट नहरी, प०न० 329/432(41) किला न० 11-12 की 0.506 हैक्ट नहरी, 17-18 की 0.506 हैक्ट बारानी, 19/1 की 0.0380 हैक्ट खाला, 19/2 की 0.108 नहरी, 19/3 की 0.107 हैक्ट नहरी


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुल 4.6470 हैक्ट भूमि जिसमे से 4.2670 हैक्ट नहरी, 0.2530 हैक्ट बारानी, 0.0890 हैक्ट गै0मु0 खाला, 0.0760 हैक्ट गै0मु0 रास्ता

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 01/07/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al.
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 771/2022

अनवान : -

भागमल पुत्र किशनलाल उर्फ कृष्णलाल जाति मीणा निवासी चक 25 एनटीआर
तहसील नोहर-फौत

1. पार्वती देवी पत्नी भागमल जाति मीणा साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
2. प्रियंका पुत्री भागमल जाति मीणा साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
3. दीपेश पुत्र भागमल जाति मीणा साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. कालुराम पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. डालचन्द पुत्र गगुराम जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. धर्मपाल पुत्र कृष्णलाल उर्फ किशनलाल जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. नारायणी पत्नी फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. भागमल पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. मुन्नी पुत्री फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. महेन्द्रसिंह पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. राकेश पुत्र कृष्णलाल उर्फ किशनलाल जाति मीणा निवासी नोहर।
10. सन्तोष पुत्री फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. सावित्री पुत्री फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. सोहनलाल पुत्र फकीरचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
14. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 771 सन 2022 निर्णय दिनांक 01/07/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069-2072 के खाता स0 77/63 की कुल 3.2890 है0 भूमि एवं रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069-2072 के खाता स0 78/64 की कुल 10.6260 है0 भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. डालचन्द पुत्र गणुराम हिस्सा पूर्ण जाति मीणा साकिन नोहर खातेदार इंडियन बैंक शाखा हनुमानगढ़ टाउन मूर्त
प0म0 22 एनटीआर के चक 25 एनटीआर के प0न0 332/427 (12) किला न0 11 ता
15 की 1.265 हैक्ट नहरी, 17-18-24 की 0.7590 हैक्ट नहरी, 20/1 की 0.1090 हैक्ट
नहरी, प0न0 331/428(19) किला न0 2-8-9-13-18 की 1.2650 हैक्ट नहरी, 3/1
की 0.1480 हैक्ट नहरी, प0न0 329/432 (41) किला न0 7/1 की 0.0380 हैक्ट खाला,
7/2 की 0.1080 हैक्ट बारानी, 7/3 की 0.107 बारानी, 8 की 0.2530 हैक्ट नहरी,
13/1 की 0.0380 हैक्ट खाला, 13/2 की 0.108 हैक्ट, 13/3 की 0.107 हैक्ट, 14 की
0.2530 बारानी कुल रकबा 4.5580 हैक्ट जिसमे 4.0140 हैक्ट नहरी, 0.4680 हैक्ट बारानी
व 0.0760 हैक्ट खाला

अ
न्यायालय सहायक कलक्टर
नोहर

- 2 नारायाणी पत्नी फकीरचन्द, कालुराम, जगदीशप्रसाद, महेन्द्रसिंह, भागमल, सोहनलाल पि० फकीरचन्द, मुन्नी, सन्तोष, सावित्री पुत्रिया फकीरचन्द हिस्सा बहिब जाति मीणा सा० नोहर खातेदार रहन जगदीशप्रसाद, भागमल, सावित्री हिस्सा पीएनबी शाखा परलीका मूर्त प०म० 22 एनटीआर के चक 25 एनटीआर के प०न० 331/427 (11) किला न० 24 की 0.2530 हैक्ट नहरी, प०न० 332/427 (12) किला न० 20/2 की 0.1440 हैक्ट नहरी, 21/2 की 0.2060 नहरी, 22/2 की 0.2070 हैक्ट नहरी, 25 की 0.2530 हैक्ट नहरी, प०न० 332/428 (18) किला न० 3/1 की 0.0250 हैक्ट खाला, 3/2 की 0.2280 नहरी, 4/1 की 0.0250 खाला, 4/2 की 0.2280 नहरी, 5/1 की 0.250 खाला, 5/2 की 0.2280 नहरी, 8 की 0.2530 हैक्ट नहरी, प०न० 331/428(19) कि०न० 3/2 की 0.105 नहरी, 4 की 0.2530 हैक्ट नहरी, 5/1 की 0.0380 रास्ता, 5/2 की 0.2150 नहरी, 6/1 की 0.0380 रास्ता, 6/2 की 0.2150 नहरी, 7-14 की 0.5060 हैक्ट नहरी, 15/1 की 0.0380 रास्ता, 15/2 की 0.2150 नहरी, प०न० 329/432(41) किला न० 20 की 0.2530 नहरी, 21/1 की 0.0380 खाला, 21/2 की 0.108 बारानी, 21/3 की 0.107 बारानी, 22-23 की 0.5060 हैक्ट बारानी कुल 4.710 हैक्ट भूमि जिसमें से 3.7620 हैक्ट नहरी, 0.7210 हैक्ट बारानी, 0.1130 गै०मु० खाला, 0.1140 हैक्ट गै०मु० रास्ता
- 3 धर्मपाल पुत्र कृष्णलाल उर्फ किसनलाल हिस्सा 4/18, भागमल, राकेश पि० कृष्णलाल उर्फ किसनलाल हिस्सा 7/9 जाति मीणा सा० नोहर खातेदार प०म० 22 एनटीआर के चक 25 एनटीआर के प०न० 331/427 (11) किला न० 16/1 की 0.0380 रास्ता, 16/2 की 0.2150 नहरी, 7-18-22-23 की 1.0120 हैक्ट नहरी, 25/1 की 0.0380 रास्ता, 25/2 की 0.2150 नहरी, प०न० 332/427(12) किला न० 16-19-23 की 0.7590 नहरी, 21/1 की 0.0470 नहरी, 22/1 की 0.0460 नहरी, प०न० 332/428(18) किला न० 1/1 की 0.260 हैक्ट खाला, 1/2 की 0.2270 नहरी, 2/1 की 0.0250 खाला, 2/2 की 0.2280 नहरी, 9-10 की 0.506 हैक्ट नहरी, प०न० 329/432(41) किला न० 11-12 की 0.506 हैक्ट नहरी, 17-18 की 0.506 हैक्ट बारानी, 19/1 की 0.0380 हैक्ट खाला, 19/2 की 0.108 नहरी, 19/3 की 0.107 हैक्ट नहरी कुल 4.6470 हैक्ट भूमि जिसमें से 4.2670 हैक्ट नहरी, 0.2530 हैक्ट बारानी, 0.0890 हैक्ट गै०मु० खाला, 0.0760 हैक्ट गै०मु० रास्ता

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अन्तिम डिक्री आज दिनांक 01/07/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

a.
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर